

फार्म

31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण

अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम डा. दलजिंदर कुमार वर्मा वर्तमान धारित पद विशेष कर्षक/कर्मचारी, कार्यालय: बाणुवन,
वर्तमान वेतन रु. 15360/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 29/01/2011 उच्चा शिक्षा

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यारे	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर (नीमखिंडा)	—	अग्नि	स्वयं की खरब अरसी ड्यार मान /	—	स्वयं की खरब रु /	—	मिरे व्य निजान नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है।
बहरसा (बिहार)	भवन	अग्नि	सजावट रूपसे कीस खरब	संयुक्त परिवार की संपत्ति	विरासत में	रु २५ ड्यार	

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) विधायक, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्यन्त या घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वयं की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर: Dr. Daljinder
नाम दलजिंदर कुमार वर्मा
पद ओ.एस.डी.
विभाग उ.शिक्षा, म.प्र.

फार्म
31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम रविशंकर शर्मा वर्तमान धारित पद अधीनस्थ
वर्तमान वेतन 10,500+1,800+1,300 आजीवन वेतनवृद्धि की तारीख 01-07

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यंज		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अर्जित किया गया ! खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं व्यंज	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
मिर्जापुर	श्रीड मिर्जापुर मिर्जापुर	-	12 लाख	स्वयं	अर्जित मिर्जापुर मिर्जापुर मिर्जापुर	-	

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अलवकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

विधुषी-म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के पर्यंत यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यंज दें ।

हस्ताक्षर रविशंकर शर्मा
नाम रविशंकर शर्मा
पद अधीनस्थ
वि. गा मिर्जापुर
मि. उ. ग. मि. उ.

फार्म
31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण

अधिकारी/कर्मचारी का (प्रा) नाम श्रीनिवास कुमार राउत वर्तमान धारित पद आटाघरक चीन्हा-2
वर्तमान वेतन 15,020/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2010

उस जिले उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, विसर्ग सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यारे	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रीपाल राउत हुजूर ग्राम विनोदिया हालिया	श्री. न. उ. ड. श्रीमता परिशर श्रीम-विनोदिया हालिया श्रीपाल	—	4,31,800/-	स्वयं	रविवर चखिरही पट्टा के 1,10,000/- एन राशि से 1500 की फीर को विकास पर निर्भर। (स्वयं की बचत)	रु. 14,400/-	—

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

दिप्पणी— म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार रहने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसका द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

नाम श्रीनिवास कुमार राउत
पद आटाघरक चीन्हा-2
वि. प्रा आटाघरक चीन्हा-2, राउत, हालिया, श्रीपाल
हस्ताक्षर [Signature]